प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं. 73 / 2026)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

www.trai.gov.in

नई दिल्ली, 09 जून 2026

तत्काल प्रकाशन हेतु

भादूविप्रा ने संशोधित 'डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024' के अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी के आकलन हेतु संशोधित 'रेटिंग मैनुअल 2026' जारी किया।

नई दिल्ली, 09 जून 2026 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज संशोधित '**डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024'** के अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी के आकलन हेतु संशोधित **'रेटिंग मैनुअल 2026'** जारी किया है।

2. भादूविप्रा ने दिनांक **25 अक्टूबर 2024** को **'डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024'** अधिसूचित किए थे। इन विनियमों का उद्देश्य सहयोगात्मक एवं आत्मनिर्भर दृष्टिकोण के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा भवनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण डिजिटल कनेक्टिविटी प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना था।

3. इसके उपरांत भादूविप्रा ने दिनांक **13 अगस्त 2025** को डिजिटल कनेक्टिविटी के आकलन हेतु दिशानिर्देश के रूप में **'रेटिंग मैनुअल'** जारी किया था । यह मैनुअल विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी के मूल्यांकन हेतु निष्पक्ष, पारदर्शी एवं मानकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित रूपरेखा प्रदान करता है। यह दस्तावेज़ डिजिटल कनेक्टिविटी के कार्यान्वयन एवं आकलन से जुड़े सभी हितधारकों, जैसे डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी (DCRA), संपत्ति प्रबंधक (PM) तथा सेवा प्रदाताओं के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है।

4. डिजिटल कनेक्टिविटी के मूल्यांकन के लिए **'विनियम'** और **'रेटिंग मैनुअल'** में निर्दिष्ट कार्यप्रणाली की बेहतर समझ के लिए आयोजित जागरूकता सत्रों एवं कार्यशालाओं के दौरान यह देखा गया कि कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त स्पष्टता एवं पुनर्विलोकन प्रदान करने के लिए समीक्षा की आवश्यकता है।

5. तदनुसार भादूविप्रा ने दिनांक **27 फरवरी 2026** को **'डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024 (2024 का 7) की समीक्षा'** विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें वर्तमान विनियमों के कुछ पहलुओं में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया।

6. इस परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में भादूविप्रा को हितधारकों से टिप्पणियाँ एवं सुझाव प्राप्त हुए। हितधारकों की टिप्पणियों के आंतरिक विश्लेषण एवं विचार-विमर्श के आधार पर भादूविप्रा ने विनियमों में संशोधन करते हुए दिनांक **13 मई 2026** को **'डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग (संशोधन) विनियम, 2026 (2026 का 3)'** अधिसूचित किया। तत्पश्चात, पिछले रेटिंग मैनुअल में विनियमन के संशोधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए, भादूविप्रा आज संशोधित **'रेटिंग मैनुअल 2026'** जारी किया है।

7. संशोधित **'रेटिंग मैनुअल 2026'** को संशोधित विनियमों के अनुरूप बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं:–

(i) निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए संरचित बहु-चरणीय मूल्यांकन एवं प्रमाणन व्यवस्था का प्रावधान ।

(ii) संपत्तियों में डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना के आकलन एवं सुधार को सुगम बनाने हेतु वैकल्पिक डिजिटल कनेक्टिविटी ऑडिट का प्रावधान।

(iii) विश्वसनीयता संबंधी आवश्यकताओं को बनाए रखते हुए विद्युत अवसंरचना के आकलन में आवश्यक लचीलापन प्रदान करना।

(iv) पारंपरिक भवन प्रबंधन के अतिरिक्त, निगरानी प्रणाली के दायरे का विस्तार करते हुए केंद्रीकृत निगरानी प्रणालियों की अनुमति प्रदान करना ।

(v) फाइबर तथा वायरलेस बैकहॉल, दोनों प्रकार के समाधानों को अनुमति देकर प्रौद्योगिकी-तटस्थ दृष्टिकोण अपनाना।

(vi) भादूविप्रा द्वारा नामित परीक्षण अनुप्रयोग (Testing Application) के माध्यम से सेवा प्रदर्शन के आकलन का मानकीकरण।

(vii) गैर-सार्वजनिक क्षेत्रों के आकलन हेतु एक परिभाषित नमूना पद्धति का समावेश।

(viii) नवीनतम 'राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक, 2026' के साथ सामंजस्य स्थापित करना।

8. डिजिटल कनेक्टिविटी के आकलन हेतु संशोधित **'रेटिंग मैनुअल 2026'** को भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध कराया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संशोधित मैनुअल से संबंधित किसी भी प्रश्न हेतु संपर्क करें:

श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (सेवा की गुणवत्ता-I), भादूविप्रा
ईमेल: **adv-qos1@trai.gov.in** | दूरभाष: **+91-11-20907759**

9/6/26

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा